केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

भारत निर्वाचन आयोग

सूक्ष्म प्रेक्षक

के लिए

आदर्श जांच सूची

2009

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

लोक सभा/विधान सभा के निर्वाचनों के आयोजन के संबंध में सूक्ष्म प्रेक्षकों की जांच सूची

विषय सूची

भाग सं.	विषय	पृष्ठ
1.	सूक्ष्म प्रेक्षक – नियुक्ति और भूमिका	1
2.	सूक्ष्म प्रेक्षकों को जानना आवश्यक है	2
3.	सूक्ष्म प्रेक्षकों को प्रेक्षण करना आवश्यक है	3
4.	सूक्ष्म प्रेक्षकों के लिए जांच सूची का प्रारूप	4-5

भाग -1. सूक्ष्म पर्यवेक्षक

(भा.नि.आ.अनुदेश सं.464/के.टी.-एल ए 2008 दिनांक 04.04.4008 और सं. 464/आईएनएसटी/2008- ईपीएस दिनांक 24.10.2008)

1.1 *सूक्ष्म प्रेक्षकों को जनरल प्रेक्षकों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत सीधे कार्य करना।*

1.2 *सूक्ष्म प्रेक्षक केवल एक पर्यवेक्षक है और मतदान दल का सदस्य नहीं है।*

1.3 *सूक्ष्म प्रेक्षकों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक फोटो पास, पहचान-पत्र और नियुक्ति-पत्र दिया जाएगा।*

1.4 *उन्हें रिटर्निंग अधिकारी से एक संचार योजना भी प्राप्त करनी चाहिए।*

1.5 *सूक्ष्म प्रेक्षकों को प्रेक्षकों की उपस्थिति में और उनके विधिवत अनुमोदन के साथ प्रस्थान के दिन से पहले यादृच्छिक रुप से मतदान केन्द्र सौंपना।*

1.6 *सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को सुनिश्चित करना कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यवस्थित सुविज्ञता प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं।*

1.7 *जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें मतदान केन्द्रों तक छोड़ने और वहां से लेने की व्यवस्था करना। वे मतदान कार्मिकों के साथ यात्रा नहीं करेंगे, वे क्षेत्रीय(सेक्टर) अधिकारियों के साथ यात्रा कर सकते हैं। उन्हें सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।*

1.8 *उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारंभ होने से कम से कम एक घंटा पहले, अथवा अन्यथा मतदान से पहले दिन शाम को पहुंच जाना चाहिए।*

1.9 *मतदान के पश्चात, सूक्ष्म प्रेक्षकों को उनके अधिकार क्षेत्र(प्ररूप के अनुसार) के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक मतदान केन्द्र की मतदान दिवस की गतिविधियों की सूचना अथवा ब्यौरा प्रेक्षक को प्रस्तुत करना।*

1.10 *बहु-मतदान स्टेशन वाले भवनों पर तैनात सूक्ष्म प्रेक्षकों को थोड़े-थोड़े अंतराल पर उसी कैम्पस में स्थित उन मतदान केन्द्रों का दौरा करना होगा।*

भाग – 2. सूक्ष्म प्रेक्षकों को जानना आवश्यक है-

2.1 *निर्वाचन प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलू*

2.2 *ईवीएम का संचालन*

2.3 *सूक्ष्म-प्रेक्षकों के लिए निर्वचान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश*

2.4 *जनरल प्रेक्षकों के सम्पर्क नम्बर*

2.5 *कार्य निष्पादन के लिए जनरल-प्रेक्षकों से दिशा-निर्देश प्राप्त करना*

भाग – 3. सूक्ष्म प्रेक्षकों को निम्नलिखित का प्रेक्षण करना आवश्यक है –

3.1 *छद्म मतदान प्रक्रिया*

3.2 *मतदान एजेंटों की उपस्थिति और भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का पालन*

3.3 *प्रवेश पास पद्यति और मतदान केन्दों तक पहुंच*

3.4 *भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचकों की उचित पहचान*

3.5 *अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं डुप्लिकेट मतदाता सूची की प्रक्रिया को जानना और रिकार्ड करना*

3.6 *अमिट स्याही लगाना*

3.7 *निर्वाचकों का विवरण रजिस्टर 17-ए में नोट करने की प्रक्रिया*

3.8 *मतदान की गोपनीयता*

3.9 *मतदान एजेंटों, उनकी शिकायतों, यदि कोई हों, के लिए व्यवस्था*

3.10 *प्रेक्षण के दौरान किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में उपलब्ध संचार माध्यमों से जनरल-प्रेक्षकों को तत्काल सूचित करना*

3.11 *सूक्ष्म प्रेक्षक द्वारा विहित प्ररूप में रिपोर्ट तैयार करना*

3.12 *संग्रह केन्द्रों पर सूक्ष्म प्रेक्षकों द्वारा जनरल प्रेक्षकों को रिपोर्ट करना और उस दिन की अपनी रिपोर्ट वाले लिफाफे को स्वयं जनरल प्रेक्षकों को सौंपना।*

3.13 *पुनः मतदान का निर्णय लेने के लिए रजिस्टर 17ए की संवीक्षा सहित सूक्ष्म प्रेक्षक की रिपोर्टों पर विचार किया जा सकता है।*

भाग – 4 मतदान के पश्चात सूक्ष्म प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक को प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिक्रिया(फीड-बैक) रिपोर्ट का प्ररूप

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षकों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के

अनुबन्ध-एल पर आधारित

1. सूक्ष्म प्रेक्षक का नाम
2. पदनाम
3. आवंटित मतदान केन्द्र की संख्या और नाम
4. मतदान केन्द्र पर आने की तारीख एवं समय
5. पीठासीन अधिकारी का नाम
6. मतदाताओं की कुल संख्या
7. क्या छद्म मतदान का आयोजन किया गया ? (हां/नहीं)
8. क्या छद्म मतदान परिणाम को हटा दिया गया ?(हां/नहीं)
9. छद्म मतदान का समय
10. क्या पीठासीन अधिकारी ने एजेंटों को ईवीएम आईडी/मशीन संख्या दिखा दी ? (हां/नहीं)
11. उपस्थित मतदान एजेंटों की संख्या
12. किसी दल(अभ्यर्थी) का मतदान एजेंट क्या उपस्थित नहीं है?
13. क्या एजेंटों के लिए प्रवेश पास पद्यति का पालन किया गया? (हां/नहीं)
14. मतदान आरंभ होने का समय
15. मतदान आरंभ होने के समय पंक्ति में खड़े लोगों की संख्या
16. क्या मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने से पहले उसके ईपीआईसी अथवा अन्य वैध दस्तावेजों की जांच करके उसकी पहचान की गई?(हां/नहीं)
17. क्या मतदान स्टाफ प्रत्येक मतदाता के बारे में 17 ए रजिस्टर में उसका विवरण भर रहा था?
18. सेक्टर अधिकारी द्वारा किए गए पहले दौरे का समय
19. मतदान घंटों के दौरान सेक्टर अधिकारी ने कितनी बार मतदान केन्द्र का दौरा किया?
20. क्या मतदान केन्द्र पर सीपीएफ तैनात थी?(हां/नहीं)
21. यदि हां, तो सीपीएफ जवान जब द्वार पर खड़े थे वे मतदान केन्द्र में हो रही कार्रवाई का प्रेक्षण कर रहे थे?
22. क्या वहां हिंसा/बहस/धमकी आदि जैसी कोई घटना घटित हुई?
23. क्या आपने ऐसी कोई घटना देखी जब मतदान स्टाफ के द्वारा मतदान कक्ष में जाकर निर्वाचकों का मार्ग दर्शन किया गया हो?(हां/नहीं)
24. क्या किसी मतदाता/एजेंट ने मतदान प्रक्रिया/मतदान स्टाफ के बारे में कोई शिकायत की?
25. क्या प्रतिघंटे के योग को कुल ईवीएम और 17ए से मिलाया(कम्पेयर) गया?(हां/नहीं)
26. क्या मतदाताओं की गति नियमित थी अथवा सविराम?
27. अपराह्न 3.00 बजे/अपराह्न 4.00 बजे/अपराह्न 5.00 बजे पंक्ति में कितने मतदाता खड़े थे?
28. पीठासीन अधिकारी द्वारा अपराह्न 5.00 बजे कितने मतदाताओं को टोकन दिया गया?
29. अपराह्न 5.00 बजे तक कितने मतदाताओं ने अपना मत डाला?
30. अपराह्न 5.00 बजे के पश्चात कितने मतदाताओं ने मत डाला?

31. वास्तव में किस समय पर मतदान समाप्त हुआ?
32. डाले गए मतों की कुल संख्या
33. डाले गए मतों का प्रतिशत
34. मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ईपीआईसी के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके मत डाला।
35. अनुपस्थित/स्थानांतरित मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की संख्या
36. क्या एजेंटों की उपस्थिति में ईवीएम को भलीभांति सील किया गया?
37. क्या 17सी के भाग-I में एजेंटों के हस्ताक्षर लिए गए?
38. क्या 17सी की प्रति एजेंटों को दी गई? (हां/नहीं)
39. मतदान स्टाफ के मार्गरक्षण(एसकार्टिंग) के लिए मतदान केन्द्र पर पिकअप पार्टी किस समय पहुंची?

सूक्ष्म प्रेक्षक के हस्ताक्षरः
पूरा नामः
पदनामः
दूरभाष संख्याः
तिथि एवं समयः